कार्यालय नगरपालिका, श्रीमाधोपुर (सीकर–राज.)

भू-आवंटन-पत्र

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (बी) के तहत पुनः आवंटन)

क्रमांक 73 / 15.9.11

भूखण्डधारी का नाम श्रीमती पार्वतीदेवी अध्यक्ष दानवीर श्री कृष्ण संस्थान

पति/पिता का नाम स्व० श्री प्रतापसिंह रवरा

पता वार्ड नं० 3 तीन – श्रीमाधोपुर

भूखण्ड संख्या .... क्षेत्रफल 4832-20 वर्ग गज

योजना का नाम खसरा नम्बर 1018 तन श्रीमाधोपुर

सहकारी समिति का नाम संस्थानिक प्रयोजनार्थ

जोन संख्या .... वार्ड संख्या 3 .... नगरपालिका श्रीमाधोपुर

नगरपालिका अधिनियम 1959 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 5 (3) न.वि.वि. /3 /99 दिनांक 10–7–99 की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड प्रार्थी को आवासीय उपयोग हेतु नियमित कर नियमन दर पर पुनः आवंटित किया जाता है। आवंटन की शर्तें निम्न प्रकार होगी।

1. यह आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाता है।
2. इस भूखण्ड पर नियमानुसार शहरी जमाबन्दी देय होगी जो कि वर्तमान में उस क्षेत्र की नियमन दर / आरक्षित दर का 2.5% / 5.0% प्रतिवर्ष प्रति वर्ग गज है। शहरी जमाबन्दी की उक्त राशि की नियमानुसार समय–समय पर बढ़ोतरी की जा सकेगी।
3. भवन निर्माण का कार्य आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।
4. साइट प्लान के अनुसार सेट बैक छोड़ने होगें एवं पालिका के बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा, इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवंटन –पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
5. इस आवंटन पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार /जीवन बीमा निगम /शिडयूल्ड / सरकारी ऋणदात्री संस्था / एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
6. साइट प्लान नगरपालिका द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार जारी किया गया है।
7. आवंटी द्वारा संबंधित नियमों, उप नियमों, राज्य सरकार /नगरपालिका के समय–समय पर जारी होने वाले निर्देशों, निर्णयों की अनुपालना की जाएगी।
8. प्रार्थी के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा निर्विवाद मानकर यह आवंटन पत्र जारी किया जा सकेगा। अतः कब्जे संबंधित किसी प्रकार के विवाद के लिए नगरपालिका जिम्मेदार नहीं होगी।
9. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण नगरपालिका के नियमों के अनुसार नगरपालिका से करवाना होगा।
10. यह आवंटन पत्र भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ है। निर्मित भूखण्ड के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक प.5(3) न.वि.वि. /3 /99 दिनांक 10–7–99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया जाता है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के संबंध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
12. भूखण्ड की लीजडीड का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है :– संलग्न नक्शा

भूखण्ड की लम्बाई x चौड़ाई

सामने ( ) 4832-20 वर्ग गज

पीछे ( )

साइड ( )

अधिकतम एफ. ए. आर. स्वीकार्य नियमानुसार

भवन की अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई ....

संस्थानिक प्रयोजनार्थ

उप पंजीयक श्रीमाधोपुर (सीकर)

तैयार कर्त्ता लिपिक के हस्ताक्षर

कनिष्ट अभियन्ता
नगरपालिका, श्रीमाधोपुर

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, श्रीमाधोपुर

अध्यक्ष
नगर पालिका, श्रीमाधोपुर

क्रमांक : भूमि / /

दिनांक ....

प्रतिलिपि :– लेखा, शाखा, भूमिशाखा / नगरपालिका को सूचनार्थ एवं शहरी जमाबन्दी के रजिस्टर तुरन्त तैयार करने हेतु।

कार्यालय नगरपालिका, श्रीमाधोपुर (सीकर–राज.)

भू–आवंटन–पत्र

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (बी) के तहत पुनः आवंटन)

79 भूमि, 29/2/2012

भूखण्डधारी का नाम श्रीमती पार्वती देवी [illegible]

पति/पिता का नाम स्व. श्री [illegible]

पता वार्ड नं 3 [illegible] – श्रीमाधोपुर

भूखण्ड संख्या .... क्षेत्रफल 2479-75 वर्ग गज

योजना का नाम खसरा नं 1018 [illegible] – श्रीमाधोपुर

सहकारी समिति का नाम ....

जोन संख्या .... वार्ड संख्या 3 .... नगरपालिका श्रीमाधोपुर

नगरपालिका अधिनियम 1959 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 5 (3) न.वि.वि. /3 /99 दिनांक 10–7–99 की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड प्रार्थी को आवासीय उपयोग हेतु नियमित कर नियमन दर पर पुनः आवंटित किया जाता है। आवंटन की शर्तें निम्न प्रकार होंगी।

1. यह आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाता है।
2. इस भूखण्ड पर नियमानुसार शहरी जमाबन्दी देय होगी जो कि वर्तमान में उस क्षेत्र की नियमन दर / आरक्षित दर का 2.5% / 5.0% प्रतिवर्ष प्रति वर्ग गज है। शहरी जमाबन्दी की उक्त राशि की नियमानुसार समय–समय पर बढ़ोतरी की जा सकेगी।
3. भवन निर्माण का कार्य आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।
4. साइट प्लान के अनुसार सेट बैक छोड़ने होंगे एवं पालिका के बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा, इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवंटन –पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
5. इस आवंटन पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार /जीवन बीमा निगम /शिड्यूल्ड / सरकारी ऋणदात्री संस्था /एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
6. साइट प्लान नगरपालिका द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार जारी किया गया है।
7. आवंटी द्वारा संबंधित नियमों, उप नियमों, राज्य सरकार /नगरपालिका के समय–समय पर जारी होने वाले निर्देशों, निर्णयों की अनुपालना की जाएगी।
8. प्रार्थी के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा निर्विवाद मानकर यह आवंटन पत्र जारी किया जा सकेगा। अतः कब्जे संबंधित किसी प्रकार के विवाद के लिए नगरपालिका जिम्मेदार नहीं होगी।
9. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण नगरपालिका के नियमों के अनुसार नगरपालिका से करवाना होगा।
10. यह आवंटन पत्र भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ है। निर्मित भूखण्ड के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक प.5(3) न.वि.वि. /3 /99 दिनांक 10–7–99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया जाता है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के संबंध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
12. भूखण्ड की लीजडीड का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है :– [illegible]

भूखण्ड की लम्बाई x चौड़ाई

सामने ( )

पीछे ( ) 2479-75 वर्ग गज

साइड ( )

अधिकतम एफ. ए. आर. स्वीकार्य नियमानुसार

भवन की अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई

संस्थानिक प्रयोजनार्थ

तैयार कर्त्ता लिपिक
के हस्ताक्षर

कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका, श्रीमाधोपुर

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, श्रीमाधोपुर

अध्यक्ष
नगर पालिका, श्रीमाधोपुर

क्रमांक : भूमि / 79 /
दिनांक 29/2/2012

प्रतिलिपि :– लेखा शाखा, भूमिशाखा /नगरपालिका को सूचनार्थ एवं शहरी जमाबन्दी के रजिस्टर तुरन्त तैयार करने हेतु।

उप पंजीयक
श्रीमाधोपुर (सीकर)